निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1275) पटना, वृहस्पतिवार, 24 जुलाई 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 जुलाई 2025

सं० वि०स०वि०–19/2025–**3152**/वि०स०––''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–23 जुलाई, 2025 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०–10/2025]

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025

बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) का संशोधन करने के लिये विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–

(1) यह अधिनियम बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो, सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की जाय।

2. **बिहार अधिनियम 12, 2010 की धारा 7 में संशोधन।–**

(1) धारा–7 की उपधारा–11 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:–

''विश्वविद्यालय शिक्षण, शोध एवं प्रसार शिक्षा तथा अन्य संबंधित पदों का सृजन राज्य सरकार की पूर्वानुमति से करेगा तथा इन पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना कृषि विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य आयोग को प्रेषित करेगा।''

(2) धारा–7 की उपधारा–12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:–

''अधिनियम की धारा–7 के उपधारा–11 में वर्णित पदों के अतिरिक्त किसी भी तकनीकी, अराजपत्रित पदों का सृजन विश्वविद्यालय राज्य सरकार की पूर्वानुमति से करेगा तथा इन पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना कृषि विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य आयोग को प्रेषित करेगा।''

उद्देश्य एवं हेतु

चूँकि राज्य में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 पारित किया गया है।

चूँकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की अध्याय–II की धारा 7 (11) में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शिक्षण, शोध एवं विस्तार शिक्षा के पदों का सृजन करना एवं ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना तथा धारा 7 (12) में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रशासनिक और अन्य पदों का सृजन करना एवं ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्ति करना प्रावधानित है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के द्वारा की गई नियुक्तियों के कारण विभाग को लगातार शिकायत पत्र/ई–मेल/मौखिक रूप से अभ्यर्थियों एवं अन्य द्वारा शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिससे नियुक्ति की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता पर प्रश्न उठता है। बिहार सरकार के अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसे पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतएव बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की अध्याय–II की धारा 7 (11 एवं 12) में संशोधन आवश्यक समझा गया है।

राज्य में कृषि अनुसंधान शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था को विकसित करने तथा नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, विवादमुक्त एवं विश्वसनीय तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की अध्याय–II की धारा 7 (11 एवं 12) में संशोधन अपेक्षित है। यहीं इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही विधेयक का अभीष्ट है।

(विजय कुमार सिन्हा)
भार–साधक सदस्य।

पटना,
दिनांक–23.07.2025

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1275-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: https://egazette.bihar.gov.in